

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,
अधीक्षक,
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजेश्वरी देवी पति-राम ईश्वर तिवारी ग्राम+पो0-सरवरपुर थाना-मेंहदिया जिला-अरवल	कैंसर रोग	₹ 60,000 /- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 60,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 60,000 /- (साठ हजार) का क्रास चेक सं0.....509013.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 23-11-15

ज्ञापांक - 1295 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

4

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कन्हाई प्रसाद पिता-जय नारायण प्रसाद ग्राम-हरीदासपुर पो०-खगौल थाना-रूपसपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 /-(बीस हजार) स्वीकृत।
2	पलक कुमारी पिता-धीरज कुमार ग्राम-पो०-परशुरामपुर थाना-अमनौर जिला-सारण	कोकलीयर	₹ 5,80,000 /-(पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	लखी चन्द्र मुखिया पिता-संतु मुखिया ग्राम-पो०-कंदली थाना-नौवहट्टा जिला-सहरसा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
4	विवेक कुमार पिता-धनंजय कुमार ग्राम-टाल, पो०-सीहाडी थाना-हसनपुरा जिला-औरंगाबाद	कोकलीयर	₹ 5,80,000 /-(पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,40,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 12,40,000 /-(बारह लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०...
509003.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

23/11/15

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/


(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 23-11-15

ज्ञापांक - 1285 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

4

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मन्दु प्रसाद पिता-बिरेन्द्र प्रसाद ग्राम-हजीयापुर कैथवलीया पो०-थाना+जिला-गोपालगंज	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	राजा कुमार पिता-स्व. राजेश्वर सिंह ग्राम-पो०-खोपी थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	घुटना रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	राहुल कुमार पिता-सुरेश राम ग्राम-हदसा पो०-बघौना थाना-हीसुआ जिला-नवादा	घुटना रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	कुंदन कुमार पिता-लाल बाबु पंडित ग्राम-बहादुरपुर पो०-थाना-गोरौल जिला-वैशाली	उदर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	अहिल्या देवी पति-साहेब सिंह ग्राम-कासीमपुर पो०-आहोक थाना+जिला-खगड़िया	घुटना रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

20/11/15
23/11/15

